

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : अतारांकित


प्रश्न संख्या- : 287

दिनांक- : 10.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम--:श्री ओमप्रकाश शर्मा

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई है;	जी नहीं।
ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
ग) क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्र के आगे सभी रेशन कार्ड धारकों को आयुष्मान का लाभ देने की शर्त रखी थी;	जी नहीं।
घ) क्या सत्य है कि केन्द्र ने इसे टुकड़ा दिया है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
ड) क्या दिल्ली सरकार अलग से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है;	दिल्ली सरकार का आयुष्मान भारत के साथ संधि में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है।
च) यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी दें ?	दिल्ली के निवासी, (सिवाय सरकारी/पी.एस.यू. एम्प्लोयी) को माध्यमिक (Secondary) केयर हेतु तथा तृतीयक (Tertiary) केयर हेतु स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल तथा पब्लिक अस्पताल में इसका लाभ निशुल्क उठा पायेगा।



(संजीव खिरवार)

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
SECRETARY IAS
SECTY
Health & Family
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sect., New Delhi